न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम्

गौतमबुद्धनगर।

उपस्थितः पवन प्रताप सिंह (एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण संख्या–637/2018

राज्य ..... अभियोजक

बनाम

सुमित पुत्र ब्रह्म सिंह

निवासी– ग्राम–रामपुर फतेहपुर, दादरी, गौतमबुद्धनगर।

.....अभियुक्त

धारा–498ए, 304बी. भा0दं0सं0

व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0

अपराध सं0–433/2018

थाना–दादरी

जनपद–गौतमबुद्धनगर।

निर्णय

1 सत्र परीक्षण संख्या–433/2018 में अभियुक्त सुमित का इस न्यायालय द्वारा विचारण थानाध्यक्ष, थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में, वादी राजपाल पुत्र ग्यासी राम निवासी लालगढ़, चॉद हट, पलवल, हरियाणा द्वारा इन आधारों पर अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसने अपनी पुत्री सरिता व कोमल दोनों लड़कियों की शादी गांव रामपुर फतेहपुर दादरी गौतमबुद्धनगर में की थी बड़ी लड़की का अमित पुत्र ब्रहम सिंह के और छोटी का सुमित पुत्र ब्रह्म सिंह के साथ दिनांक 21–02–2018 को हिन्दू रीति–रिवाज व खूब दान–दहेज सहित अपनी हैसियत से बढ़–चढ़कर की थी। शादी के बाद से लड़के वाले लड़कियों को दहेज के लिए टॉरचर कर रहे थे जो बार–बार दहेज के लिए परेशान कर रहे थे दहेज में स्कारपियो गाड़ी की मांग करता था और नगद 5,00,000/– की मांग करता था जो कि दिनांक 05–06–18 को ब्रह्म सिंह का फोन हरिपाल पुत्र ग्यासीराम के पास लगभग 3 पी.एम. बजे के करीब आया था की तुम्हारी कोमल मर चुकी है जिस समय हम वहॉ पहुंचे सभी घर वाले वहां से गायब और उसकी लड़की मृत अवस्था में मिली। लड़की कोमल को मारने वाले 6 सदस्य थे–ब्रह्म सिंह पुत्र धूप सिंह (ससुर), सुनीता पत्नी ब्रह्म सिंह (सास), अमित पुत्र ब्रहम सिंह (जेठ), सुमित पुत्र ब्रहम सिंह (पति), धर्मवती पत्नी सुरेन्द्र (लड़के की बुआ) एवं दिनेश पुत्र सुरेन्द्र (लड़के की बुआ का लड़का) गांव मदनपुर खादर।

3. वादी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर चिक.एफ.आई.आर. प्रदर्श क–3 सम्बन्धित थाने पर तैयार की गई और अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी. भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अपराध संख्या–433/18 पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जो

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित थे। अभियोग पंजीकृत किये जाने सम्बन्धी आवश्यक सूचना की प्रविष्टि जी.डी. में अंकित की गई जो पत्रावली पर प्रदर्श क–4 के रूप में अंकित है।

4. विवेचनाधिकारी द्वारा वादी एवं अन्य साक्षीगण के अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता कथन अभिलिखित किये गये, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटनास्थल का मानचित्र तैयार किया गया जो पत्रावली पर प्रदर्श क–6 के रूप में उपलब्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, पंचायतनामा पर प्रदर्श क–2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–5, सामान्य दैनिकी विवरण प्रदर्श क–4, आरोप पत्र प्रदर्श क–7 नायब तहसीलदार द्वारा प्रेषित पत्र क्रमशः प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10 एवं प्रदर्श क–11 आदि प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध हैं। विवेचना के उपरान्त विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्त सुमित के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा–498, 304बी. भा.दं.सं. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रेषित किया गया।

5. आरोपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अभियुक्त को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आहूत किया गया और दिना अभियुक्त सुमित की पत्रावली दिनांक 06.10.2018 को सत्र न्यायालय को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

द्वारा सुपुर्द की गई।

6. तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्त अमित के विरूद्ध दिनांक–02–11–2018 को आरोप अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी. भा0दं0सं0 व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम आरोप विरचित किये गये।

7. अभियोजन द्वारा आरोप के उपरान्त अभियोजन साक्षी संख्या–1 के रूप में राजपाल, अभियोजन साक्षी संख्या–2 सरिता, अभियोजन साक्षी संख्या–3 सन्तराम, अभियोजन साक्षी संख्या–4 प्रीतम, अभियोजन साक्षी संख्या–5, बलराज सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या–06 कां0 433 हरीश मलिक, अभियोजन साक्षी संख्या–7 डॉ0 पंकज त्रिपाठी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–8 C.O. निशांक शर्मा को परीक्षित कराया गया।

8. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किये गये। अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को अस्वीकार करते हुए इस आशय के कथन किये गये कि मैंने या किसी पारिवारिक सदस्य ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की। मैं निर्दोष हूँ।

9. यह प्रकरण दहेज मृत्यु से सम्बन्धित है। दहेज मृत्यु धारा–304बी (1) भा0दं0सं0 में परिभाषित है एवं 304बी (2) भा0दं0सं0 दहेज मृत्यु के लिए दण्ड का प्राविधान करती है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन हेतु अन्तर्गत धारा–354 (1) (ख) विनिश्चय हेतु निम्नलिखित बिन्दु विरचित किये जा सकते हैंः–

प्रथम, क्या मृतका कोमल की मृत्यु विवाह की सात वर्ष की समयावधि में हुई?

द्वितीय, क्या मृतका की मृत्यु जलने, शारीरिक चोटों या असामान्य परिस्थितियों में हुई थी?

तृतीय, क्या मृत्यु के शीघ्र पूर्व पति एवं उसके सम्बन्धी जन द्वारा दहेज हेतु मृतका के प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, या उसे कष्ट पहुंचाया गया था?

10. अभियुक्त सुमित स्वीकृत रूप से मृतका का पति है। मृतका कोमल के पारिवारिक सदस्य अभियोजन साक्षीगण के रूप में परीक्षित हुए हैं। अभियोजन साक्षी संख्या–1 राजपाल मृतका कोमल का पिता है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 सरिता मृतका कोमल की बहन है। तथ्य के साक्षीगण के रूप में अन्य कोई साक्षीगण अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है अन्य साक्षीगण औपचारिक साक्षी हैं।

11. यह स्वीकृत तथ्य है कि राजपाल ने अपनी पुत्री कोमल का विवाह दिनांक 21–02–18 को सुमित के साथ किया था। मृतका कोमल का पिता अभियोजन साक्षी संख्या–1 के रूप में परीक्षित हुआ है। मृतका कोमल के पिता राजपाल इस अभियोग के वादी हैं तथा अभियोज साक्षी संख्या–1 के रूप में परीक्षित होने पर इस साक्षी ने प्रायः अपने मौखिक साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये अभिकथनों का समर्थन नहीं किया। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में इस आशय के कथन किये गये कि उसने अपनी पुत्री कोमल व सरिता का विवाह दिनांक 21–02–18 को क्रमशः सुमित पुत्र ब्रह्म सिंह व अमित पुत्र ब्रह्म सिंह के साथ किया था। अभियोजन साक्षी संख्या–2 के रूप में मृतका कोमल की बहन सरिता परीक्षित हुई हैं इनके द्वारा इस आशय के कथन किये गये कि उसकी बहन कोमल की शादी ब्रहम सिंह के लड़के अमित के साथ दिनांक 21.02.18 को रामपुर फतेहपुर दादरी के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के साथ हुई थी। एवं इसने भी यही कथन किया कि उसकी बहन से उसकी उसकी ससुराल वालों ने कभी भी पॉच लाख रूपये व स्कार्पियों गाड़ी की मांग नहीं की न ही कभी उसके साथ मारपी–पीट की। अभियोजन साक्षी संख्या–03 सन्तराम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में भी उपरोक्त कथन का समर्थन किया गया है तथा इसने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी सख्या–4 प्रीतम ने अपनी मुख्य परीक्षा में इसी आशय के कथन किये कि राजपाल की लड़कियां सरिता व कोमल की शादी उसके गांव के ब्रहम सिंह के लड़कों अमित व सुमित के साथ

जनवरी 2018 में हुई थी। सुमित ने कभी कोमल से अथवा कोमल के मायके वालों से अतिरिक्त दहेज में स्कार्पियो गाड़ी व 5 लाख रूपये की मांग की हो तथा मांग पूरी न होने के कारण उसने अपनी पत्नी का उत्पीड़न किया हो। पी0डब्लू0–5 बलराज सिंह ने उपरोक्त साक्षीगण के कथनों का समर्थन किया है। विवाह के लगभग 4 माह के उपरान्त वादी की पुत्री कोमल की मृत्यु हो गई थी। अतः मृतका कोमल की मृत्यु विवाह के 4 माह के उपरान्त अर्थात् 7 वर्ष की समयावधि में हुई।

12. विनिश्चय हेतु द्वितीय बिन्दु यह है कि क्या मृतका की मृत्यु जलने, शारीरिक चोटों या असामान्य परिस्थितियों में हुई थी?

इस सम्बन्ध में पत्रावली पर इस आशय का साक्ष्य उपलब्ध है कि मृतका की मृत्यु के सम्बन्ध में पंचनामा हुआ था जो पत्रावली पर प्रदर्श क–2 के रूप में उपलब्ध है। इस पंचनामे के अनुसार पंचों की राय में मृतका की मृत्यु फांसी लगने के कारण हुई।

मृतका की शव विच्छेदन आख्या पत्रावली पर प्रदर्श क–10 के रूप में उपलब्ध है जिसे अभियोजन साक्षी संख्या–7 के रूप में परीक्षित डॉ0 पंकज त्रिपाठी द्वारा नियमानुसार साबित किया गया और इस आशय की राय व्यक्त की गई कि मृतका सारे शरीर पर मृत्यु के उपरान्त अकड़न थी, मुॅह बन्द था ऑख

बन्द थी व कन्जेस्टिड थी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में घटित हुई।

13. विनिश्चय हेतु तृतीय बिन्दु यह है कि क्या मृत्यु के शीघ्र पूर्व पति एवं उसके सम्बन्धी जन द्वारा दहेज हेतु मृतका के प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, या उसे कष्ट पहुंचाया गया था?

उल्लेखनीय है कि मृतका के पिता व बहन क्रमशः अभियोजन साक्षी संख्या–1 व 2 के रूप में परीक्षित हुए हैं। अभियोजन साक्षी संख्या–1 के रूप में मृतका के पिता परीक्षित हुए है जिन्होंने मुख्य परीक्षा में इस आशय के कथन किये कि उसने दोनों पुत्री कोम व सरिता की शादियां दिनांक 21.02.18 को क्रमशः सुमित पुत्र ब्रहम सिंह व अमित पुत्र ब्रहम सिंह से हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। जिसमें उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था शादी के कुछ दिन बाद दिनांक 5–6–18 को ब्रहम सिंह का फोन हरीपाल पुत्र ग्यासीराम के पास आया और बताया कि तुम्हारी लड़की कोमल मर चुकी है। वह वहां गया तो उसकी लड़की मृत अवस्था में मिली थी। उसने गांव के अन्य लोगों के बताने के आधार पर थाना दादरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी। अभियोजन की ओर से की गई जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मैं गांव वालों के कहने के आधार पर रिपोर्ट लिखवा दी थी उसकी बेटी कोमल से ससुराल वालों ने कभी कभी स्कार्पियो व 5 लाख रूपये की मांग दहेज में नहीं की थी।

14. अभियोजन साक्षी संख्या–2 के रूप में मृतका की बहन सरिता परीक्षित हुई है इसके द्वारा मुख्य परीक्षा में इस आशय के कथन किये गये कि विवाह में दिये गये दान–दहेज से अभियुक्त व उसके

परिवार वाले संतुष्ट थे। उसकी बहन से उसके सामने कभी भी पांच लाख रूपये व स्कार्पियो गाड़ी की मांग नहीं की थी। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी ने पुनः इस आशय के कथन किये। मृतका के पिता एवं बहन महत्वपूर्ण साक्षी हैं अतः इनके द्वारा दहेज न मांगे जाने के सम्बन्ध में किये गये कथन इस अभियोग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण थे परन्तु इनके द्वारा किये गये कथनों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या–3 सन्तराम, अभियोजन साक्षी संख्या–4 प्रीतम एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5 बलराज सिंह ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा कथन किया है कि अभियुक्त सुमित ने उनके सामने दहेज में स्कार्पियो गाड़ी व पॉच लाख रूपये की मांग नहीं की गयी थी और न ही उसको प्रताड़ित किया था।

16. शेष साक्षीगण औपचारिक साक्षी हैं जिनके द्वारा अभियोजन अभिलेखों को साबित किया गया है परन्तु आरोप साबित करने हेतु मृतका के पारिवारिक सदस्यों द्वारा इस प्रकार के कथन किया जाना आवश्यक था कि उसकी पुत्री का उसके पति एवं सम्बन्धी जन दहेज हेतु उत्पीड़न करते थे। इसके प्रतिकूल इस आशय के कथन किये गये कि उनकी पुत्री का उत्पीड़न दहेज हेतु अभियुक्त नहीं करता था और न ही दहेज हेतु अभियोजन साक्षी संख्या–1 व 2 से दहेज की कोई मांग की गई और न ही इस प्रकार के कथन किये गये कि दहेज हेतु अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री कोमल की मृत्यु कारित की गई। उक्त आधारों पर अभियुक्त दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

5

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या–637/18 में अभियुक्त सुमित को अपराध अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी. भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सुमित जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित है उसका रिहाई परवाना बनाकर अविलम्ब जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

अभियुक्त धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में मुबलिग 25,000/–रूपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील योजित की जाती है तो अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेगा। धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रतिभू अपने दायित्व से 6 माह के उपरान्त स्वयंमेव उन्मोचित हो जायेंगे।

दि0: 02–09–2019

(पवन प्रताप सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम्
गौतमबुद्धनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दि0: 02–09–2019

(पवन प्रताप सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम्
गौतमबुद्धनगर।